

पत्र संख्या-विधि-1-(3) ईट भट्टा-समाधायी (2013-14) / 1029/ 1314061

/ वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: 07 अक्टूबर, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिशनर (कर निर्धारण)
समस्त असिस्टेंट कमिशनर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- ईट भट्टा सीजन वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-09-2014 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू एवं लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने से संबंधित समाधान योजना लागू किया जाना ।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0 1312/ग्यारह-2-2013-9(32)/09 दिनांक 04-10-2013 द्वारा ईट भट्टा सीजन वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-09-2014 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । शासन का उक्त निर्देश पत्र इस पत्र के साथ अनुपालनार्थ संलग्न किया जा रहा है ।

2- सीजन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-09-2014 तक) की अवधि के लिए समाधान राशि सीजन वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिए विभिन्न पायों के भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि के 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् है :-

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2013-2014 के लिए निर्धारित समाधान राशियां

पायों की संख्या	सीजन वर्ष 2013-2014 (दि० 01-10-13 से दि० 30-9-2014 तक) की अवधि के लिए देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प के रूप में निर्धारित की समाधान राशि (20 % की वृद्धि के पश्चात्)		सीजन वर्ष 2013-2014 (दि० 01-10-13 से दि० 30-9-2014 तक) की अवधि के लिए निर्धारित प्रवेश कर की समाधान राशि (20 % की वृद्धि के पश्चात्)	
	नान हाई ड्राट	हाई ड्राट	नान हाई ड्राट	हाई ड्राट
1	2	3	4	5
15	135792	149371	13580	14938
16	163571	179927	16357	17993
17	194431	213874	19444	21386
18	228377	251218	22837	25121
19	268499	295351	26849	29536

20	308618	339479	30862	33948
21	351828	387010	35182	38701
22	401203	441324	40120	44132
23	459842	505826	45984	50582
24	521567	573725	52156	57372
25	586379	645017	58638	64502
26	657359	723096	65736	72310
27	731426	804569	73142	80456
28	805494	886048	80550	88606
29	879569	967524	87956	96752
30	953630	1048991	95364	104898
31	1027703	1130474	102770	113047
32	1101772	1211946	110177	121194
33	1175838	1293425	117584	129342
34	1249907	1374896	124991	137490
35	1327061	1459766	132707	145978
36	1404215	1544636	140422	154464
37	1481371	1629505	148138	162952
38	1558525	1714375	155852	171438
39	1635679	1799250	163568	179926
40	1712833	1884120	171284	188413
41	1789990	1968990	178999	196900
42	1867144	2053859	186714	205387
43	1944298	2138729	194431	213874
44	2021453	2223598	202146	222361
45	2098609	2308468	209861	230846
46	2175763	2393339	217576	239334
47	2252918	2478208	225293	247820

3- समाधान योजना से सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 एवं शपथ पत्र /अनुबन्ध-पत्र के प्रारूप-2 संलग्न किये जा रहे हैं।

4- सीजन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-9-2014 तक) की अवधि में समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्टो के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारूप-1(क) व प्रारूप-1(ख) में तथा समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टो के सम्बन्ध में प्रारूप-2 में अलग-अलग सूचनायें सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर प्रत्येक दशा में दिनांक 05-12-2013 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्याज सहित जमा समाधान राशियों के साथ प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों को भी समाहित करते हुए सूचनाएं दिनांक 20-12-2013 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। तत्पश्चात् प्रत्येक माह

के लिए अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त प्रारूप-1(क) व प्रारूप-1 (ख) तथा प्रारूप-2 में सूचनायें मुख्यालय उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रारूप-1(क)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्टों से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2013 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्टा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्टों की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल देय समाधान राशि का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारूप-1 (ख)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्टों से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2013 के पश्चात स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्टा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्टों की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल देय समाधान राशि का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारूप-2

समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टो से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्टा है	कुल भट्टो की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्टो की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्टो के सम्बन्ध में					
			घोषित बिक्री	स्वीकृत जमा मूल्य सम्बन्धित कर	स्वीकृत जमा प्रवेश कर	अस्थायी कर निर्धारण द्वारा आरोपित कर	जमा कर	बकाया कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग :-								

5- कृपया शासन के निर्देशानुसार अधीनस्थ अधिकारियों से कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों को एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराते हुए इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये।

संलग्नक- 1- शासन के निर्देश।

2- समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारूप- 1

3- शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारूप-2

m
07.10.2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्र0प्र0सं0एवं दिनोंक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

प्र0प्र0सं0एवं दिनोंक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, 30प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) मर्वेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0। ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (33) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थना पत्र :-

प्रारूप-1

वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-09-2014 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र ।

सेवा में,

डिप्टी / असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्य कर,

खण्ड-----

मंडल / उपमंडल -----जनपद -----

महोदय,

मैं, फर्म सर्वश्री -----

जिसका मुख्यालय-----पर स्थित है तथा

जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में खण्ड/ मण्डल / उपमण्डल कार्यालय

-----द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (टिन) -----

दिनांक -----से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीयन प्राधिकारी / डिप्टी / असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर, खण्ड / मंडल/ उपमण्डल -----के कार्यालय में रसीद संख्या----- दिनांक ----- से प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साक्षीदार----- हूँ । मैंने ईट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में निर्मित ईटों, भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-10-2013 से 30-09-2014 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है । शासन के इन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं । उन्ही के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की सीजन वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01-10-2013 से 30-09-2014 तक में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु पूरे सीजन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01-10-2013 से 30-09-2014) के लिए ----- पाया के भट्टे के लिए मूल्य सम्बर्धित कर की समाधान राशि रुपये ----- एवं प्रवेश कर की समाधान राशि रुपये ----- अर्थात् पूरे सीजन वर्ष के लिए कुल देय समाधान राशि रुपये ----- की एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ । पूरे सीजन वर्ष के लिये उपरोक्तानुसार कुल देय समाधान राशि में से समाधान प्रार्थना पत्र

के साथ मूल्य संवर्धित कर की समाधान शुल्क रुपया----- एवं कोयले पर देय प्रवेश कर की समाधान राशि रुपया----- अर्थात् कुल समाधान राशि रुपये ----- मैंने चालान संख्या----- दिनांक -----द्वारा----- (बैंक / शाखा का नाम) में जमा कर दिया है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

दिनांक 01-10-2013 को मेरे यहाँ स्टॉक निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहाँ स्टॉक है
01	पक्की ईंटे		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्टों में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

संलग्नक:- यथोपरि

दिनांक -----

हस्ताक्षर-----

पूरा पता-----

प्रास्थिति-----

फर्म का नाम व पता -----

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ----- के स्वामी / साझीदार----- है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पूरा पता-----

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र :-

प्रारूप-2

समक्ष डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर वाणिज्य कर,

खण्ड-----

मंडल / उपमंडल -----जनपद -----

मैं-----पुत्र श्री-----आयु लगभग-----वर्ष स्थायी

निवासी------(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1- मैं, फर्म स्वामी सर्वश्री -----जिसका मुख्यालय------(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार ------(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01-10-2013 से 30-09-2014 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर निम्नलिखित ईट भट्टे सीजन वर्ष 2013-2014 में 01-10-2013 से 30-09-2014 की अवधि में है :-

भट्टों की संख्या	भट्टे की प्रकृति (नॉन हाईड्रॉट/ हाईड्रॉट)	जितने पाये का भट्टा है	एक समय में कितने स्थानों पर फुकाई होती है	प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावित पूरे सीजन वर्ष के लिए एकमुश्त कुल समाधान राशि			
				मूल्य सम्वर्धित कर समाधान राशि	प्रवेश कर समाधान राशि	ब्याज, यदि देय व जमा हो	कुल योग (स्तम्भ 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8

सभी भट्टों के लिए पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल समाधान राशि का योग रुपया -----

5- प्रस्तर 4 में अंकित भट्टो तथा प्रस्तर-4 की तालिका के स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि का कुल योग रुपया-----होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा पूरे सीजन वर्ष के लिए देय है। पूरे सीजन वर्ष के लिए देय उपरोक्तानुसार कुल समाधान राशि रुपये ----- मे से प्रथम किश्त के रूप में देय रुपये ----- का चालान समाधान प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है।

6- यदि वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01-10-2013 से 30-09-2014 तक की अवधि हेतु धारा-6 में मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ अनुलग्नक प्रारूप-1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिशनर, वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तों / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर -----

पूरा पता -----

प्रास्थिति -----

फर्म का नाम व पता -----

घोषणा

मैं ----- घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (7) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर -----

नाम एवं पता -----

तिथि एवं स्थान -----

हस्ताक्षर -----

पूरा पता -----

प्रास्थिति -----

फर्म का नाम व पता -----

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 04 अक्टूबर, 2013

विषय : ईट भट्टा सीजन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-09-2014 तक) हेतु
ईट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

एडि. कमि. (Law)

म

कमिश्नर

वाणिज्य कर, उ०प्र०
07-10-2013

2443

07-10-13

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ईट निर्माता व्यापारियों के लिये ईट भट्टा सीजन वर्ष 2013-14 में दिनांक 1.10.2013 से 30.9.2014 तक की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू की जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान संबंधी प्रार्थना-पत्र/शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र गत वर्षों के अनुरूप कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ०प्र० द्वारा जारी किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कमिश्नर, वाणिज्यकर समाधान राशि की गणना नान-हाईड्राट भट्टों व हाईड्राट भट्टों के लिये अलग-अलग करते हुए विस्तृत निर्देश अपने स्तर से जारी करेंगे।

2. इस संबंध में अग्रेतर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

Imp
J (IV)

on
7-10-13
ACFIV

1608

बीरेश कुमार

भवदीय,

04/10/13
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

**ईट भट्टा सीजन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01-10-2013 से दिनांक 30-09-2014 तक)
हेतु ईट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में निर्देश।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अधीन उत्तर प्रदेश में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2013-2014 में दिनांक 01.10.2013 से 30.09.2014 तक की अवधि में निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान राशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है:-

- (1) सीजन वर्ष 2013-14 (दिनांक 01.10.2013 से 30.9.2014 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि सीजन वर्ष 2012-13 की अवधि के लिये निर्धारित समाधान राशियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित कर दी जाय।
- (2) कतिपय ईट भट्टों में फुकाई शीघ्र पूरी किये जाने के उद्देश्य से हाई ड्राट तकनीक भी लगायी जाती है। हाई ड्राट भट्टों के लिए समाधान राशि, नॉन हाई ड्राट भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।
- (3) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि निर्धारित समाधान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिये तदनुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।
- (4) सीजन वर्ष 2013-14 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 20 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थना-पत्र व्यापारी द्वारा दिनांक 30.11.2013 तक प्रस्तुत किया जायेगा। देय सम्पूर्ण समाधान राशि का क्रमशः 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 जनवरी, 2014 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 25 मार्च, 2014 तक एवं 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 अप्रैल, 2014 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तें निर्धारित समय तक नहीं जमा करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
- (5) उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् यदि 15 दिन के अंदर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिये अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार, इस अवधि के लिये

देय समाधान राशि, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित जमा करने पर कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 को प्रदान कर दिया जाये।

- (6) समाधान योजना परिपत्रित होने के पूर्व जारी किये गये टैक्स इन्वॉइस के अनुसार वसूल की गयी कर की धनराशि का कोई लाभ समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माताओं को देय धनराशि में नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर के रूप में जमा की गयी धनराशि, जिसमें अस्थायी कर निर्धारण के फलस्वरूप जमा कर की धनराशि भी सम्मिलित है, समाधान राशि में समायोजित की जायेगी परन्तु किसी भी प्रकार के अर्थदण्ड अथवा ब्याज की धनराशि निर्धारित समाधान राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
- (7) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्ठा व्यवसाइयों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा इन व्यापारियों द्वारा समाधान की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वॉइस जारी किया जायेगा।
- (8) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्ठा व्यापारियों से समाधान योजना निर्गत होने के पूर्व टैक्स इन्वॉइस से क्रय करने वाले पंजीकृत क्रेता व्यापारियों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं हो सकेगा, परन्तु ऐसे क्रेता व्यापारियों को हानि से बचाने के लिए उपयुक्त होगा कि आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होने के कारण यदि कोई मांग सृजित होती है, तो उसे माफ करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया जाय।
- (9) कोई व्यापारी जिस भट्ठे के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनता है, समाधान योजना केवल उसी भट्ठे के लिए लागू मानी जायेगी। व्यापारी यदि उससे भिन्न किसी भट्ठे से भी निर्मित ईट की बिक्री करते हैं या अन्य प्रकार के क्रय विक्रय के कार्य करते हैं, तो अन्य भट्ठे पर निर्मित ईट अथवा अन्य प्रकार के क्रय विक्रय पर देय कर इस समाधान योजना से आच्छादित नहीं होगा।
- (10) यदि किसी ईट निर्माता द्वारा गत सीजन वर्षों में समाधान योजना अपनायी गयी थी, परन्तु समाधान राशि की सभी किश्तें जमा नहीं की गयी हैं, तो उक्त बकाया समाधान राशि ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण-पत्र के साथ ही इस सीजन वर्ष के लिए दिये गये समाधान प्रार्थना-पत्र को समाधान राशि के साथ जमा करने पर स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नहीं हुआ हो, इस योजना के पात्र होंगे।
- (12) इस योजना में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर उ0प्र0 मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2008 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नहीं होगी।
- (13) सीजन वर्ष के दौरान नये खुदे हुए ईट भट्ठों में फुँकाई आरंभ होने की तिथि से 30 दिन के अंदर समाधान योजना हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

- (14) यदि सीजन वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2014 तक फुँकाई प्रारम्भ कर दी जाती है तो पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि देय होगी, लेकिन यदि नये खुदे भट्टे में फुँकाई दिनांक 31 मार्च, 2014 के पश्चात की जाती है, तो समाधान राशि पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि के 75 प्रतिशत के बराबर देय होगी, जिसे कमिशनर वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराया जायेगा।
- (15) प्रार्थना-पत्र तथा शपथ-पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्टों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जांच के समय ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र तथा शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0प्र0 मूल्य सर्वाधिक कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (16) एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात् इसे वापस नहीं लिया जा सकता।
- (17) समाधान प्रार्थना-पत्र, शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिशनर, वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (18) विवादित बिन्दु पर कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 का निर्णय अंतिम होगा।


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।